गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा

गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

जी.बी.यू.-002/प्रशा0/नि.का./009/2024-458 दिनाँकः- 04/10/ 2024

::सूचना::

सक्षम स्तर द्वारा प्राप्त अनुमोदन के कम में विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तीन निम्नांकित सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) अध्ययन कार्य कराया जाना है।

क.सं.	प्रोजेक्ट का नाम
1.	पत्रांक 1055/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नौएडा/गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु ग्राम बादौली बांगर जिला गौतम बुद्ध नगर की 3.3280 हेक्टेयर भूमि अर्जन/अधिग्रहण के सम्बन्ध में।
2.	पत्रांक 1058/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नौएडा/गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु ग्राम कामबक्शपुर जिला गौतम बुद्ध नगर की 2.2261 हेक्टेयर भूमि अर्जन/अधिग्रहण के सम्बन्ध में।
3.	पत्रांक 2040/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ग्रेटर नौएडा/गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 30.08.2024 के माध्यम से नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 60 मीटर चौडी रोड एल जी चौक से हिण्डन ब्रिज से होकर नोएडा जाने के मुख्य मार्ग के निर्माण राजस्व ग्राम नामौली की कुल 19.8060 हेक्टयर भूमि अर्जन/अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) अध्ययन करने हेतु इच्छुक संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सहमति/नाम पत्र जारी होने की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर कुलसचिव कार्यालय की इमेल (ro@gbu.ac.in & registrar@gbu.ac.in) पर देने का कष्ट करें। (मा0 प्रबन्ध बोर्ड की 38वीं बैठक के कार्यालय आदेश की छायाप्रति तथा अहर्ताऐं इस पत्र के साथ संलग्न है)।

(डॉ0 विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. मा0 कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. डॉ संदीप सिंह राणा, सिस्टम मैनेजर, सैन्ट्रल कम्प्यूटर सेंटर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचना अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त स्कुलों के अधिष्टातागण/विभागाध्यक्ष/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

जी.बी.यू-02/प्रशा./2.1/2024-5026 दिनाँक: 27 अगस्त, 2024

:: कार्यालय आदेश ::

मा0 प्रबन्ध बोर्ड की 38वीं बैठक के मद संख्या-38.31.05 में लिए गये निर्णय के कम में सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन में विभिन्न विभागों से विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण (Social Impact Assessment) के प्रोजेक्ट में कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. प्रोजेक्ट (Social Impact Assessment) के प्राप्त होने पर प्रति प्रोजेक्ट में अधिकतम संकाय सदस्यों की भगीदारी सुनिश्चित किए जाने तथा सभी अर्ह संकाय सदस्यों को समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए विश्वविद्यालय वेब साईट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट में कार्य करने के इच्छुक संकाय सदस्यों से निर्धारित समयावधि में आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले प्रोजेक्टों की भौगोलिक स्थिति, प्रोजेक्ट की वृहदता/आवश्यकता, अनुदानित धनराशि, संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता, योग्यता एवं कार्यक्षमता इत्यादि का समेकित विश्लेषण करने के उपरान्त आवेदित संकाय सदस्यों में से अनुदानित प्रोजेक्ट पर कार्य करने हुए एक समिति का गठन मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
3. प्रोजेक्ट (Social Impact Assessment) में कार्य करने हेतु इच्छुक संकाय सदस्यों से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिया जाना कि प्रोजेक्ट में कार्य करने से उनके दैनिक, शैक्षिक/शोध कार्यकलापों तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अन्य कार्य दायित्वों पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा तथा वे प्रोजेक्ट की नियमानुसार अर्हता रखते हैं।
4. उक्त प्राप्त प्रोजेक्ट में होने वाले आवश्यक व्ययों, गणना एवं वित्तीय नियमों के परीक्षण इत्यादि हेतु वित्त विभाग के एक सदस्य को भी सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) में रखा जाना।
5. उक्त प्राप्त प्रोजेक्ट में सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) सम्बन्धी कार्यों के समयान्तर्गत सफल संचालन हेतु निम्नानुसार मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है:-

1. अधिष्ठाता शैक्षिक	-	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता, ह्यमि0एण्ड सो0सा0	-	सदस्य
3. अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च	-	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

6. विश्वविद्यालय में (Social Impact Assessment) का कार्य करने पर अधिकतम समेकित धनराशि रू0 50,000/-(पचास हजार मात्र) प्रति प्रोजेक्ट प्रति संकाय सदस्य को बजट की धनराशि से कार्य सम्पन्न होने के उपरांत भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त मा. बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध बोर्ड बैठक में प्रस्तावित प्रस्ताव मद संख्या-38.31.05 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव में अंकित उपर्युक्त नियम व शर्तों के साथ-साथ सामाजिक समाघात निर्धारण (Social Impact Assessment) समिति में एक वाह्य सदस्य को भी सम्मिलित करते हुए उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। वाह्य सदस्य कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ0 विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. मा0 कुलपति महोदय के कार्यालय को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता शैक्षिक, को सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, ह्यमि0एण्ड सो0सा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

4.	Qualification of team or external/ freelance consultant	The applicant organization should have a team of at least one social expert with a Master's or Bachelor's degree in Social Sciences, such as Sociology, Social Work, Economics, Political Science, Geography, Rural Development, Anthropology, Rural Management etc. An expert with a Master's degree shall have a minimum of five years experience in land acquisition and socioeconomic survey as well as in preparation of and involvement in implementation of R&R, CSR or state- or centrally-run social schemes. **Experts with a Bachelor's degree require eight years of experience in similar areas for the organization to qualify for empanelment.** The team can also have at least one expert with a Master's or Bachelor's degree in subjects such as Engineering, Architecture, Agriculture, Forestry, Environment Planning, Town Planning etc., with proven experience in undertaking land acquisition, socioeconomic survey and implementation of R&R or CSR or state- or centrally-run social scheme or the like. **In order to qualify for empanelment, an expert with a Master's degree shall have a minimum of five years of experience. An expert with a Bachelor's degree shall have a minimum of eight years of experience.**	

Scanned with OKEN Scanner